प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो)

वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र तथा पटसन उद्योग के लिये दिनांक 1/4/1999 से 5 वर्ष के लिये अर्थात् 31 मार्च 2004 तक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना लागू की है, जो बाद में 31/3/2007 तक अर्थात् दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढ़ाई गई है ।

योजना के अन्तर्गत लाभ

- ऋणदाता अभिकरण द्वारा रूपयों में आवधिक ऋण पर प्रभारित साधारण ब्याज दर की 5% ब्याज वापसी

अथवा

- विदेशी मुद्रा ऋण पर आधार दर से 5% विनिमय उतार-चढ़ाव (ब्याज तथा वापसी)

अथवा

- लघु उद्योग क्षेत्र के लिये 15% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी

अथवा

- विद्युतकरघा क्षेत्र लिये 20% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (दिनांक 01अक्टूबर,2005 से 'फ्रन्ट एन्डेड' सब्सिडी का विकल्प दिया गया है)

अथवा

- विनिर्दिष्ट प्रोसेसिंग मशीनों के लिये 5% ब्याज वापसी सहित 10% कैपिटल सब्सिडी
- विनिर्दिष्ट मशीनों के लिय प्रौद्योगिकी स्तर बेंचमार्क किये गये हैं । इस योजना के अन्तर्गत निधिकरण की कोई अधिकतम सीमा नहीं है ।
- वस्त्र उद्योग के विर्निदिष्ट क्षेत्र जैसे कताई, कॉटन जिनिंग तथा प्रोसिंग, सिल्क रीलिंग तथा ट्विस्टिंग, वूल स्काउटिंग तथा कोम्बिंग, सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्स्चराइजिंग, क्रिम्चिंग, तथा ट्विस्टिंग, विस्कोज फिलामेंट यार्न (वीएफवाई)/ विस्कोज स्टैपल फाइबर (वीएसएफ) का विनिर्माण, मेड-अप विनिर्माण, फाइबर्स यार्न्स, फैब्रिक्स, गारमेट्स एवं मेड-अप्स की प्रोसेसिंग तथा पटसन क्षेत्र उनकी प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिय रियायती दर पर ऋण लेने के लिये पात्र हैं ।
- आईडीबी, सिडबी तथा आईएफसीआई क्रमश: गैर लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र, लधु उद्योग वस्त्र क्षेत्र तथा पटसन क्षेत्र के लिये नोडल अभिकरण थीं । तथापि 1 अक्तूबर 2005 से 13 अतिरिक्त नोडल बैंकों द्वारा वित्त पोषित मामलों के लिये प्रौउनियो के अन्तर्गत पात्रता निर्धारण एवं उनके लिए सब्सिडी जारी करने हेतु नियुक्त किया गया है ।
- **योजना की मॉनीटरिंग तथा समीक्षा**

मॉटरींग तथा समीक्षा के लिये, सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में अंतर - मंत्रालयीन संचालन समिति (आईएमएससी) गठित की गई है । समिति की समान्यत: त्रैमासिक रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं । योजना के अन्तर्गत किसी इकाई तथा मशीनरी की पात्रता के संदर्भ में किसी नोडल अभिकरण द्वारा उठाए गए तकनीकी मुद्दे को स्पष्ट करने, व्याख्या करने के लिये वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार सह मॉनीटरिंग समिति (टीएएमसी) गठित की गई है । टीएएमसी आईएमएससी को तकनीकी सलाह भी देती है तथा योजना के प्रगति की नियमित रूप से देख-रेख करती है ।

योजना के प्रारंभ से अब तक इसमें 200 से अधिक आशोधन किये गये हैं ।

- **<u>प्रौउनियो की प्रगति (5%ब्याज वापसी तथा 15% सीएलसीएस)</u>**

प्रौउनियो के प्रचालन के सात वर्ष तथा दस माह की अवधि के दौरान, रू. 78910 करोड़ की परियोजना लागत के 7703 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । उक्त में से रू. 71056 करोड़ की परियोजना लागत के 7418 आवेदन पत्रों को रू. 31,222 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है । 6703 आवेदन पत्रों को रू.20,479 करोड़ की राशि वितरीत की गई है ।

<u>दिनांक 31/12/2006 तक सूरत में प्रौउनियो की प्रगति</u>

(रू. करोड़)

	आवेदन पत्रों की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत राशि	वितरीत राशि
सूरत	1.098	1010.92	398.19	326.20